प्रेस नोट
दिनांक 04.09.2025

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 574 ग्राम नाजायज गांजा बरामद–

कार्यवाहीः–
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्कर पारसनाथ शुक्ला उर्फ दद्दू पुत्र श्याम लाल उर्फ पंडित नि0 ग्राम भमौचा मौजा नौबरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को बग्गी रोड स्थित देशी भांग की दुकान से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 574 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
आज दिनांक 04.09.2025 को थाना धानेपुर के उ0नि0 समलेश पटेल मय हमराह के साथ शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि बग्गीरोड स्थित देशी भांग की दुकान की चेकिंग के दौरान 574 ग्राम नाजायज गांजा बरामद कर अभियुक्त पारसनाथ शुक्ला उर्फ दद्दू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त थाना धानेपुर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. पारसनाथ शुक्ला उर्फ दद्दू पुत्र श्याम लाल उर्फ पंडित नि0 ग्राम भमौचा मौजा नौबरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–282/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस ऐक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 574 ग्राम नाजायज गांजा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 समलेश पटेल।
02. हे0का0 धर्मेन्द्र यादव।
03. हे0का0 राघवेन्द्र यादव।
04. का0 सतीश कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।